<u>प्रारूप 11</u>

JUSTIFICATION (विस्तृत औचित्य)

जनपद पिथौरागढ के **जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम ननपापों (डीडीहाट) में हैलीपैड निर्माण** के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 182/IX-3/2020–21–02(03)/2018 दिनांक 26 मार्च 2021 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। हैलीपैड हेतु प्रस्तावित स्थल की लम्बाई 40 मीटर तथा चौडाई 37.50 मीटर अर्थात कुल क्षेत्रफल 0.15 है0 है, जिसमें कुल 0.15 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त हैलीपैड जनहित में बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नही है। उपरोक्त समस्त निर्माण श्रद्धालुओ/पर्यटकों के साथ ही स्थानीय जनता को भी आवागमन/स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित किया जा रहा है। निर्माण के उत्सर्जित मलवे का उपयोग निर्माण कार्य में ही कर दिया जायेगा। डीडीहाट क्षेत्र में आई0टी0बी0पी0 मेर्थी (डीडीहाट से 5 किमी0 दूरी पर) व आर्मी चर्मा में (डीडीहाट से 12 किमी0 दूरी पर) हैलीपैड उपलब्ध है, किन्तु उक्त हैलीपैड रक्षा विभाग के अधीन है। ननपापों में (डीडीहाट से 7 किमी0 दूरी पर) हैलीपैड निर्माण होने पर स्थानीय प्रशासन/राज्य सरकार के अधीन हैलीपैड उपलब्ध हो जायेगा। चूँकि डीडीहाट को जिले हेतु भी प्रस्तावित किया गया है, भविष्य में जिला बनने के उपरान्त उक्त हैलीपैड का निर्माण कई प्रयोजनो हेतु किया जा सकेगा।

प्रस्तावित स्थल में कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है। भू– वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स, पिथौरागढ की आंख्या संख्या 171/जी0टा0फो0पिथौ0/भू0निरी0/हैलीपैड/2019–20 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित भूमि को निर्माण कार्य हेतु सुरक्षित बताया गया है।

उक्त भवन निर्माण हेतु डीडीहाट के आस पास कोई भी गैर वन भूमि (नाप भूमि) उपलब्ध न होने के कारण तथा वृक्ष विहीन वन भूमि उपलब्ध होने के कारण ही हैलीपैड निर्माण हेतु वन भूमि का चयन किया गया है।

अतः अन्य कोई विकल्प न होने के कारण प्रस्तावित वन भूमि में ही हैलीपैड निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेंसी